स्मार्ट सिटी का डब्ल्यूजेसी पर रिवर फ्रंट डवलपमेंट प्रोजेक्ट नए साल में होगा मुकम्मल

करनाल। पश्चिमी यमुना नहर पर स्मार्ट सिटी का रिवर फ्रंट डवलपमेंट प्रोजेक्ट नए साल के पहले महीने अर्थात जनवरी के अंत तक पूरा होगा। प्रगति की बात करें तो काम जोरों से चल रहा है, जिसमें पी.सी.सी. यानि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का काम मुकम्मल हो गया है, एक साईड की ग्रिल भी लगा दी गई है। दूसरी साईड के फाउंडेशन मुकम्मल हैं और उन पर ग्रिल लगाने की तैयारियां चल रही हैं।

उपायुक्त एवं करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ निशांत कुमार यादव ने गुरूवार को प्रोजेक्ट स्थल का पैदल दौरा कर डव्लपमेंट के कार्यों का निरीक्षण किया, उनके साथ एसीयूटी प्रदीप सिंह भी थे। उपायुक्त के अनुसार काछवा रोड साईड पर पहले से ही बने एक बड़े घाट के साथ एक सुंदर पार्क बनाया जाएगा। हालांकि इसे दूसरे चरण में लेना था, लेकिन इसका टैण्डर लगा दिया गया था, जो शुक्रवार को ही खुलने जा रहा है। जाहिर है कि यह काम भी इसी फेज में होगा।

इसके पश्चात उन्होंने लम्बी दूरी तक यानी करीब 2 किलोमीटर तक फैले स्ट्रैच पर पी.सी.सी., पाथ-वे, साईकिल ट्रेक और प्लांटेशन के लिए छोड़ी गई जगह का निरीक्षण किया। प्लांटेशन के लिए बीच की लाईन छोड़ी गई है, उसके साथ ही साईकिल ट्रैक है। खेतो की साईड पर एमरजेंसी पाथ-वे बनाया गया है। उन्होंने चलते-चलते एस.वाई.एल. व भाखड़ा कैनाल से पहले त्रिवेणी पार्क का निरीक्षण किया। इसमें अब सुंदर दिखाई देने वाले ओपन एयर जिम के उपकरण लगाए गए हैं। त्रिवेणी में पहले से ही मौजूद पेड़ों के झुरमुट हैं। पार्क में सुंदर और सजावटी पौधे लगाए जाने के साथ-साथ एक गैजिबो भी लगाएंगे, बच्चों के लिए टॉट-लॉट यानि खेलने के झूले लगेंगे।

स्ट्रैच पर नहरी पुल से टर्निंग के सामने एक छोटे कोने में योगा डैक बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसके सामने एस.वाई.एल. और भाखड़ा, दोनो नहरे कल-कल करती दिखाई देती हैं। योगा के लिए इससे उपयुक्त जगह नहीं हो सकती थी, क्योंकि चित के लिए प्रकृति का साथ जरूरी हैं। इसके पास ही एक गहरे खड्डे को डव्लप कर उसमें एडवेंचर पार्क बनाया जा रहा है, इसे माउंट पार्क का नाम दिया गया है। अर्थात स्ट्रैच से नीचे स्लोप पर उतरकर माउंट पर बैठकर एडवेंचर पार्क की फिलिंग ले सकते हैं। इसमें घाट और पाथ-वे बनाने हैं। इसके साथ से गुजर रही एक आवर्धन नहर का किनारा, जो स्ट्रैच के साथ लगता है, सुंदर तरीके से पक्का किया गया है। यहां से ही स्ट्रैच का दूसरा भाग जो करनाल-कैथल रोड तक जाता है, शुरू हो जाता है। उपायुक्त ने इसका भी पैदल राउण्ड लेकर इसका भी निरीक्षण किया। पुल के पास यानि आखिरी सिरे पर एक छोटी पार्किंग बनाई जा रही है और सड़क से स्ट्रैच की ओर मुड़ते कर्व को चौड़ा कर इसे पैदल व वाहना के लिए ओर सुविधाजनक बनाएंगे।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे ठेकेदार को निर्देश दिए कि प्लांटेशन और दूसरे जो भी काम बचे हैं, सबको एक साथ शुरू कर दें, क्योंकि जनवरी तक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। उन्होंने के.एस.सी.एल. में काम कर रहे अधिकारियों को निर्देश दिए कि चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करते रहें, वर्क मैनशिप भी चैक करें।

दौरे में उपायुक्त के साथ केएससीएल के जीएम रमेश मढ़ान, कार्यकारी अभियंता सौरभ गोयल, पीएमसी प्रवीन झा और आर्किटैक्ट इंजीनियर पूर्णिमा भी मौजूद रही।

फुटपाथ व साइकिल ट्रैक के नाम पर होगी अलग से लूट

फ़रीदाबाद (म.मो.) जब भी कोई सड़क बनाई जाती है उसके दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिये फुटपाथ और साइकिल सवारों के लिये साइकिल ट्रैक बनाया जाता है। इसके अलावा सड़के के दोनों ओर पर्याप्त खुली जगह भी रखी जाती है जिसका इस्तेमाल भविष्य में सड़क को चौड़ाने के लिये किया जा सकता है।

बीते लगभग पांच वर्षों से स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक भी शहर की कहीं से भी स्मार्टनेस नज़र नहीं आ रही। ले-दे कर शहर की दो सड़कों, पहली बडखल चौक से बाइपास को जाने वाली डेढ किलोमीटर लम्बी जिसके एक ओर सेक्टर 28 दूसरी ओर सेक्टर 19 है, दूसरी ओल्ड चौक से बाइपास को जोड़ने वाली सेक्टर 16 व 19 के विभाजक रोड हैं। ये दोनों ही सड़कें बहुत अच्छी हालत में थीं। लेकिन स्मार्टनेस के नाम पर पैसा डकारने के लिये इन्हें खोद कर दोबारा सिमेंट कंक्रीट से बना कर रंग-रोगन आदि करने के साथ-साथ स्ट्रीट लाइट के पुराने खम्बे उखाड़ कर नये नये खम्बे लगा दिये गये हैं। लेकिन साइकिल ट्रैक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

फुटपाथ भी जो बनाये गये हैं उन पर भी कब्जे करा दिये गये हैं। इतना ही नहीं इन सड़कों को बनाते वक्त इन बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया कि सीवरेज की सफ़ाई आदि का काम कैसे हुआ करेगा? यानी आने वाले समय में यह भी एक समस्या खड़ी होने वाली है।

जानकार बताते हैं कि इन दोनों सड़कों पर 32-32 करोड़ खर्च हो चुका है। अब साइकिल ट्रैक बनाने का खर्च अलग से लगेगा। इन सड़कों सहित अन्य कई काम भी ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार गांधी को ही दिया गया है। गांधी के बारे में बताया जाता है कि वह कोई भी काम पूरा नहीं करता और पैसा एडवांस में लेकर डकार जाता है। ब्लैकलिस्ट कर दिये जाने पर वह नये नाम से नई कम्पनी खड़ी कर लेता है। जाहिर है यह सब काम अधिकारियों के मेल-जोल एवं हिस्सा-पत्ती में ही चलता है।

अब समझा जाता है कि शहर की कुछ सड़कों के साथ साइकिल ट्रैक बनाये जायेंगे। इन पर 27 करोड़ खर्च करने का अनुमानित बजट रखा गया है। इस तरह के बनाये जाने वाले ट्रैकों का बुरा हाल होता है।

इस बाबत सुधी पाठकों ने मोर्चा में कई बार पढ़ा होगा कि 25 लाख खर्च करके बाटा मोड़ से बाइपास को जाने वाली सेक्टर 11 व 12 की विभाजक रोड पर 'हूडा' द्वारा जो साइकिल ट्रैक बनाया गया था वह अब ढूंढने से भी नहीं मिलता। जाहिर है कि ट्रैक बनाने का मतलब केवल उक्त रकम डकारना ही था। अब यही काम 27 करोड़ रुपये से अन्य साइकिल ट्रैक बनाने पर होगा। जब नेताओं व अधिकारियों का एक मात्र उद्देश्य लुटकमाई करना ही हो तो तमाम प्रोजेक्ट जनता की आंख में धूल झोंकने के लिये ही बनाये जाते हैं।

सहकारी शुगर मिल में क्षेत्र से बाहर का गन्ना आने पर किसानों ने किया हंगामा

कांटा बंद कर किसान को पकड़ उनका बांडा बंद कर पेमेंट रोकी

करनाल (जेके शर्मा) करनाल के सहकारी शुगर मिल में क्षेत्र से बाहर के किसानों का गन्ना आने और शुगर मिल की क्षमता बढने के बावजूद भी मिल में क्षमता से कम मात्रा में गन्ने की पिराई का कार्य होने के विरोध में किसानों ने आज जमकर हंगामा किया। नाराज किसानों ने मिल के तोल कांटे को बंद करके रोष प्रदर्शन किया। किसान मिल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। किसानों द्वारा किए गए हंगामे से मिल प्रशासन में हडकंप मच गया। शुगर मिल की एमडी आदित्य कुमारी मौके पर पहुंची और किसानों की समस्या सुनी। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र से बाहर के किसानों का गन्ना इस शुगर मिल में लिया जा रहा है। किसानों ने

मिल से बाहर के किसान के गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि शुगर मिल की क्षमता 35000 क्विंटल प्रतिदिन की है, लेकिन पिराई मात्र 20000 क्विंटल की हो रही है जिस कारण क्षेत्र के किसानों का गन्ना खेतों में ही खड़ा है। किसान गन्ने के खेत खाली होने पर उस खेत में गेहूं आदि की बिजाई कर लेते है। गन्ना खेत खाली न होने से किसान गन्ना के खेत में गेहूं की बिजाई करने से वंचित हो रहे हैं। काफी देर तक तनातनी के बाद शुगर मिल की एमडी आदित्य कुमारी ने किसानों को समझाया कि मिल में क्षेत्र से बाहर के किसानों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है लेकिन मिल क्षेत्र के किसान ही अपनी पर्ची को बाहर के किसानों को दे रहे हैं। एक किसान द्वारा क्षेत्र से बाहर किसान को पर्ची देने के आरोप में पकड़ा है और उसका बाउंड कैंसिल कर पेमेंट पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि मिल में बिजली से संबंधित तकनीकी समस्या के चलते मिल की पिराई क्षमता को बढ़ाने में दिक्कत आई है। इस समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मिल की पिराई क्षमता 35000 क्विंटल प्रतिदिन की है लेकिन तकनीकी समस्या के चलते अब 28000 किंवटल पर चल रही है। शुगर मिल द्वारा किसानों को पर्ची भेजने की कंप्यूटराइज व्यवस्था की हुई है जो नंबर वाइज चलती है। किसी की पर्ची के लिए कोई सिफारिश नहीं मानी जाती। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वह क्षेत्र से बाहर के किसानों को अपनी पर्ची ना दें, जो किसान ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसान का अकाउंट बंद कर पेमेंट रोक दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शुगर मिल में गन्ना लेकर आने वाले किसानों की ट्राली 10 घंटे में खाली हो कर वापस जा रही है। मिल में किसानों को अधिक सुविधाएं देने तथा मिल की व्यवस्था सुधारने के प्रयास चल रहे हैं।

प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर और अनाधिकृत रूप से निर्माण व गतिविधियां करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई

करनाल। प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर और अनाधिकृत रूप से निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरूवार को अच्छे-खासे मोड में रहा। इसे लेकर दिनभर चली कार्रवाई में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के मॉल, बैंक्वट हाल, दुकानें और एक फैक्ट्री को सील कर दिया गया, जबकि भवन निरीक्षण शाखा से जुड़े एक मामले में तिमंजले भवन को सील करने के साथ-साथ एक कॉलोनी में दुकान पर लगे टावर को सील करने के साथ-साथ इसे वाइंडअप करने के लिए भी एजेंसी को नोटिस जारी किया गया। सारी कार्रवाई नगर निगम के आयुक्त डॉ. मनोज कुमार के निर्देश पर की गई।

खास बात बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों की ओर कुल 63 लाख 83 हजार 887 रूपये लम्बे समय से बकाया थे। आज सील की कार्रवाई से बचने के लिए, सुपर मॉल के एक दुकानदार, संजय कॉलोनी में एक दुकान व डेयरी के मालिक तथा मधुबन के पास बैंक्वट हाल के मालिक ने अपनी साख बचाने के लिए मौके पर टीम को चैक थमा दिए। इस तरह से इस कार्रवाई में निगम के खजाने में आज 25 लाख 62 हजार 905 रूपये आ गए। कार्रवाई में तहसीलदार करनाल राज बक्श ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे और डीटीपी विक्रम कुमार, ईओ देवेन्द्र नरवाल तथा भवन निरीक्षक विकास अरोड़ा व कर अधीक्षक गगनदीप सिंह ने पुलिस की उपस्थिति में सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। यह भी खास है कि किसी भी जगह नगर निगम की टीम का विरोध नहीं हुआ।

इन मामलो में हुई सील करने की कार्रवाई-भवनों और दुकानों को सील करने की बड़ी कार्रवाई का नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने खुलासा करते बताया कि शहर के सुपर मॉल में 6 दुकानो के मालिक प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टर थे। इनकी तरफ कुल 4 लाख 10 हजार रूपये का टैक्स बकाया था। सभी दुकानो को सील कर दिया गया, हालांकि एक दुकान के मालिक ने सांय के समय निगम में आकर 88 हजार रूपये जमा करवाकर अपनी सील खुलवा ली। दूसरी ओर हर्षा के 3 सी मॉल का मालिक 7 लाख 82 हजार 952 रूपये का टैक्स डिफाल्टर था, इसके चलते आज पूरा मॉल सील कर दिया गया। इसके पश्चात टीम ने दयानंद कॉलोनी का रूख करके जी.टी. रोड पर बने एक बैंक्वट हाल को सील कर दिया, इसके मालिक की ओर 8 लाख 69 हजार 734 रूपये बकाया थे। जबकि मधुबन के पास एक अन्य बैंक्वट की तरफ 16 लाख 7 हजार 907 रूपये थे, जैसे ही सील करने की कार्रवाई प्रारम्भ हुई, प्रॉपर्टी मालिक ने मौके पर सारी राशि का चैक निगम की टीम का थमा दिया।

निगमायुक्त ने आगे बताया कि इसी प्रकार इंद्रा कॉलोनी में एक बारदाना फैक्ट्री की तरफ 9 लाख 64 हजार 85 रूपये काफी समय से बकाया चले आ रहे थे। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी टैक्स जमा करवाने को लेकर किसी तरह की रूची न लेने पर अंततः आज फैक्ट्री को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि बजीदा रोड पर मंगल कॉलोनी में प्रवीन कुमार पुत्र ईश्वर दास की तीन दुकाने थी और इनकी तरफ 8 लाख 83 हजार 20 रूपये बकाया टैक्स था, जिसे अदा न करने पर तीनो दुकानो को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि एक अन्य संजय कॉलोनी में एक डेयरी और दुकान के मालिक भी टैक्स डिफाल्टर थे और इनकी तरफ 8 लाख 66 हजार 970 रूपये बकाया पड़े थे। जैसे ही इसको सील करने की कार्रवाई प्रारम्भ हुई, प्रॉपर्टी मालिक ने मौके पर ही पूरे अमाउंट का चैक दे दिया।

भवन निर्माण शाखा से सम्बंधित दो मामलो में भी की गई सील की कार्रवाई-निगमायुक्त ने बताया कि आज की कार्रवाई में दो मामले भवन निर्माण शाखा से सम्बंधित थे। पहले की बात करें, तो जाटों गेट के सामने एक प्रॉपर्टी मालिक ने आवासीय नक्शा पास करवाकर तिमंजिला भवन बनाया और उसमें कॉमर्शियल गतिविधियां शुरू कर दी। जैसे ही यह मामला निगम के संज्ञान में आया, तो प्रॉपर्टी मालिक को नोटिस दिए गए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिर आज इस भवन को सील कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई में ऋषि नगर गऊशाला रोड पर रिहायशी इलाके के एक भवन के ऊपर ए.टी.सी. कम्पनी की ओर से एक टावर लगाया गया था। टावर लगाने वाले व्यक्ति ने टावर लगी दुकान को एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया। आस-पास के दुकानदार टावर लगाए जाने का एतराज कर रहे थे, जो किसी भी समय गिरकर जान-माल को नुकसान पहुंचा सकता था। नगर निगम में आई इस शिकायत पर कार्रवाई करते आज टावर को सील कर दिया और इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने वाली कम्पनी ए.टी.सी. को जल्दी से जल्दी इसे वाईंडअप करने को नोटिस दे दिया गया।

इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार का कहना है कि प्रतिष्ठानो के मालिकों को अपना बकाया टैक्स निगम के खजाने में देना चाहिए। यह उनका नैतिक कर्तव्य भी बनता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नगर निगम की या सरकारी जमीन पर नियमो से परे जाकर अनाधिकृत निर्माण या गतिविधियां करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।